राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.1(1)(जी–18–॥)आ.कृ/ग्रुप–8 /3058-60 दिनांक : 3/8/17

सूचना

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा कृषि अनुसंधान अधिकारी (पौध व्याधि), कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य), सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (पौध व्याधि) एवं सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट) के पद पर क्रमशः 6, 13, 9 एवं 13 अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति आदेश जारी करने हेतु भिजवायी गई है। चयनित अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 21.08.2017 को प्रातः 10 बजे दस्तावेजो के मूल एवं उनके स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित छायाप्रतियों के साथ कृषि आयुक्तालय के कमेटी कक्ष में उपस्थित होना है। दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यार्थियों को कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। निर्धारित स्थान, दिनांक, समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश जारी होने में विलम्ब के लिये वे स्वयं उत्तरदायी होगें। निर्धारित दिनाक को मूल दस्तावेजों के सत्यापन एवं नियमानुसार अन्य शर्ते पूर्ण करने तथा राज्य सरकार के पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर नियुक्ति आदेश जारी किये जावेंगें।

दस्तावेजो की सूची :–

1. शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु अंकतालिका/प्रमाण पत्र।
2. जन्मतिथि के सत्यापन हेतु – सैकेण्डरी उत्तीर्ण की अंकतालिका/प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित मान्य दस्तावेज।
3. **पूर्वाचरण** प्रमाण पत्र (Verification of antecedents Certificate) जो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी हो।
4. राजस्थान सेवा नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत निर्धारित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (PMO) तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया हो किन्तु महिलाओं के संबंध में किसी भी राजकीय महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा। (प्रारूप–द)
5. मूल निवास प्रमाण पत्र।
6. **वर्ग सत्यापन हेतु** : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति (टी.एस.पी.), अनुसूचित जनजाति (टी.एस.पी.), पिछडी जाति, विशेष पिछडी जाति, सहरिया आदिम जाति का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र।
7. विधवा कोटे में चयनित महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पुनर्विवाह नही किया गया है, इस आशय का स्व–हस्ताक्षरित घोषणा पत्र।
8. परित्यक्ता महिला कोटे में चयनित महिला को सक्षम न्यायालय के निर्णय की सत्यापित प्रति।
9. निःशक्तजन कोटे में चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2011 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र, जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का हो।

10. पृथक–पृथक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी दो नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र।
11. अविवाहित (पुरूष एवं महिला) की स्थिति में स्व–हस्ताक्षरित घोषणा।
12. विवाहित होने की स्थिति में, यदि विवाह दि0 22.05.2006 के बाद हुआ हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दि0 22.05.06 के अनुसार विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र।
13. राज्य सरकार की विज्ञप्ति दि0 20.06.2001 के तहत संतान संबंधी घोषणा (प्रारूप–य)
14. आपराधिक / सजायाफ्ता नहीं होने / तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने इत्यादि से संबंधित स्व–हस्ताक्षरित घोषणा पत्र (प्रारूप–र)
15. दहेज नहीं लेने / नहीं लिया संबंधी स्व–हस्ताक्षरित घोषणा पत्र (प्रारूप–ल)
16. राजस्थान सेवा नियम पार्ट–II के परिशिष्ठ 18–(ख) के अनुसार स्व–हस्ताक्षरित बंध–पत्र, जो लगभग पांच लाख पचास हजार से कम का नहीं हो (प्रारूप–व)
17. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित नाम / उपनाम तथा शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि के दस्तावेजों में अंकित नाम / उपनाम, जन्मतिथि आदि में यदि भिन्नता हो तो वांछित दस्तावेज।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमांक प.1(1)(जी–18–II)आ.कृ / ग्रुप–8 13058-60
दिनांक : 3/8/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
2. ए.सी.पी. , कम्प्यूटर शाखा मु0 जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिये प्रेषित है।
3. निजी / आरक्षी पत्रावली।

(सोमेन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

प्रारूप–द

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

(राजस्थान सेवा नियम 10)

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने .... जो कि **कृषि विभाग, राजस्थान सरकार** में **कृषि अनुसंधान अधिकारी (पौध व्याधि)/कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य)/सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (पौध व्याधि)/सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट)** के पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्याशी है, शारीरिक स्वास्थ्य की परीक्षा की है तथा मुझे .... के अतिरिक्त ऐसी कोई बीमारी (जो उल्लेखनीय अथवा अन्यथा प्रकार की हो) शारीरिक निर्बलता या दोष प्रतीत नही हुआ है। मैं **कृषि विभाग** में उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य नही समझता।

हस्ताक्षर सक्षम चिकित्सा अधिकारी
मय सील

प्रारूप–य

कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक प.7(1)डी.ओ.पी./क–2/95 दि0 20.6.2001 के क्रम में संतान संबंधी घोषणा

मैं——————————————————पुत्र/पुत्री——————————————————
– निवासी —————————————————— एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चो (पुत्र/पुत्री) की संख्या ———— थी। विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	नाम	संबंध	जन्मतिथि
1			
2			
3			
4			
5			

दिनांक 01.06.2002 को अथवा इसके पश्चात् मेरे बच्चो की संख्या में वृद्धि हुई है/नही हुई है एवं वर्तमान में बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या ——— है। विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	नाम	संबंध	जन्मतिथि
1			
2			
3			

जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम :